

11/5

पधारें हैं। पत्रावली सूचानुसार पत्रावली को पेश करें

13/3/2024

पत्रा. पेश हुई। पत्रा. वकील उपा. पत्रा. का  
 दावा नोट-पेश में खारिज किया  
 जा चुका है। अब इस पत्रा. पत्र का  
 कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः  
 पत्रा. का पत्रा. पत्र 212 RTA शर्त पर  
 पर खारिज किया जाता है।  
 पत्रावली सुधल सुगाए होकर  
 दाखिल दफ्तर है

Notepaper  
Computer  
 13/3/24

